छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 467/2006</u>

श्री आशुतोष पाण्डेय,
चांपा रोड, चन्दनिया पारा,
जांजगीर–495668
जिला–जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा
आयोग, रायपुर (छत्तीसगढ़)

.... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 09 जनवरी 2007)

श्री आशुतोष पाण्डेय निवासी–जांजगीर चांपा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक ने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा दिनांक 17–4–2006 को जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को आवेदन दिया था, जिसमें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2005 के सभी विषयों के न्यूनतम चयन अंक, सभी विषयों के आदर्श उत्तरपत्र की फोटोकापी एवं आवेदक के सामान्य अध्ययन तथा भारतीय इतिहास उत्तरपुस्तिका की फोटोकापी चाही थी। जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा पत्र दिनांक 21 जुलाई 2006 से अपीलार्थी को सूचित किया गया कि राज्य सेवा परीक्षा–2005 की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, अतः प्रक्रिया के दौरान जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। इसके विरूद्ध अपीलार्थी ने सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को प्रथम अपील प्रस्तुत की। सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा अपील अस्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा दोनों पक्षों को के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसे वांछित जानकारी दी जावे, जिससे उसे वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके। प्रतिअपीलार्थी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जवाब में बतलाया कि वर्ष 2005 की परीक्षा प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, अतः परीक्षा की गोपनीयता बनाये रखने के लिए परीक्षा के दौरान कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। प्रारंभिक परीक्षा अनुवीक्षण परीक्षा होती है। आदर्श उत्तरपत्र की जानकारी भी सार्वजनिक हित में दी जा जाना उचित नहीं है। उसके द्वारा दी गई परीक्षा के विषयों से संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं की प्रति चाही गई है। उत्तरपुस्तिकाओं की प्रति देने से मूल्यांकनकर्ता की निजता का

अतिक्रमण होता है तथा उत्तरपुस्तिका की प्रतिलिपि देना लोकहित में उचित नहीं होगा।

4/ प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता एवं गोपनीयता बनाये रखना आवश्यक है। सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् ही अंकों की जानकारी का प्रकटन उचित प्रतीत होता है। उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति देने से परीक्षा की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता प्रभावित होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(1)(जे) एवं (इ) के अंतर्गत ऐसी जानकारी जो कि लोकहित में प्रकटन करना आवश्यक न हो, प्रकटन नहीं की जाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति दिया जाना लोकहित में आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

5/ अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त